### आदेश:
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा राजस्थान उद्योग अधिनियम से संबंधित उद्योग निरीक्षक सीमी भर्ती परीक्षा वर्ष 2018 के परिणाम के आधार पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पत्र क्रमांक प.14(32)(1)आरएचएसबी/अर्थन्युक्रम/उद्योग/भर्ती/पात्रता जांच/2018/19 दिनांक 07.01.2019 के द्वारा निर्धारित अभ्यर्थी का चयन कर पद्धति प्रस्तुत हेतु अभियंता की गई थी। परिणाम सीमी भर्ती प्रस्तुत निरीक्षण परीक्षा दर्जे-1133/2019 में श्रेष्ठ स्थान अन्तर्गत राजस्थान सरकार द्वारा मनोकामना रखने के अंतर्गत दिनांक 15.01.2019 को माननीय राजस्थान उद्योग व्याख्यांकन, जयपुर द्वारा Status quo Maintain रखने के आदेश पाए हैं। माननीय राजस्थान उद्योग व्याख्यांकन, जयपुर द्वारा उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 27.05.2019 के द्वारा याचिका को आरंभिक कर दिया गया है और सीमी भर्ती परीक्षा को आदेश दिनांक 27.05.2019 के द्वारा तथा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विभागीय राजस्थान उद्योग अधिनियम संबंधी नियम 1966 के प्रवाहात्मक संदर्भ निम्नलिखित यथार्थता का संबंध सम्बन्धित अन्य दल का राजस्थान उद्योग अधिनियम संबंधी रूप से 2 वर्ष की कार्यवाही के लिए परीक्षाधीन प्रशिक्षणपत्र (उद्योग निरीक्षक) के स्थान पर उपस्थिति देने की संवृति से राजस्थान सरकार सम्बन्धी समय-समय पर जारी निरीक्षण/परीक्षा दर्जे निर्देश में सार्वजनिक वेतन भत्ते पर एतद्धर नियुक्त किया जाता है। यह संवृति से परीक्षण स्थान पर उपस्थिति प्रस्तुत करने की तिथि से प्राप्त होगी।

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र. सं.</th>
<th>अन्यथा का नाम व पाता</th>
<th>जन्मतिथि</th>
<th>रोल नं.</th>
<th>मेरिट नं./श्रेणी</th>
<th>पद्धति प्रस्तुत स्थान</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>श्री विभु मंगोहर भारता पुजा श्री राजेंद्र प्रसाद भारता निवास-डी-14, चंदनगर, 9 दुकान, कल्याण स्थूपा, झोटवाला, जयपुर-302012</td>
<td>03.08.1994</td>
<td>315154</td>
<td>456 (विभा.मंजा.कर्मसाधन सामान्य)</td>
<td>कार्यो.आयुक्त, उद्योग, जयपुर में उद्योग निरीक्षक के रिक्त पद के प्रति।</td>
</tr>
</tbody>
</table>

नियुक्ति की शर्तें:
1. परीक्षाधीन प्रशिक्षणपत्र को दिनांक 07.01.2019 दिन के निर्देश पर राजस्थान सरकार के आदेश 13.03.2006 तथा 15.01.2017 के निर्देश अनुसार जारी किया जाएगा। यदि परीक्षण स्थान पर निम्नलिखित व्यवस्था के आधार पर व्यवस्थित निरीक्षण 25565/2015 राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया जाएगा।
2. उक्त अन्यथा के जन्म तारीख वह ही है जो इन्हें परीक्षा के आयोजन में अंकित की है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा उक्त अन्यथा परीक्षण स्थान के परिवर्तन स्थानांतर किया गया है।
3. उक्त नियुक्ति राजस्थान उद्योग अधिनियम संबंधी नियम 1966 के अंतर्गत राजस्थान सरकार से संबंधित स्थान पर जाने पर आदेश के प्रमुख के समय से प्रारंभ होगी।
4. यह निर्धारित अस्थाई है। उक्त अन्यथा राजस्थान उद्योग अधिनियम संबंधी नियम 1966 के नियम 30 के अनुसार 2 वर्ष के परीक्षाकाल में रहने तथा राजस्थान सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समय में जाने पर परीक्षण की अवधि स्वविवेकस्वत: बढ़ाई जा सकती है।
5. यदि सरकार की राय में इसका कार्य या आदरण परिवेश की सम्यकता में संतोषग्रस्त नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दश राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा के उद्योग निरीक्षक होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से हटाने विनियम कर सकती है।

6. राजस्थान यात्रा भवन नियमों के अनुसार—१ अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भवन संवाद नहीं होगा।

7. अभ्यंत्री के दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक सत्रांत होने की रिश्ते में नियमों के लिए पात्रता नहीं मानी जायेगी अथवा नियुक्ति आदेश स्वतः ही गैरस्त समस्या जारी रहेगा।

8. राज्य सरकार के निर्माण (क-2)विभाग राजस्थान जयपुर के परिष्कर क्रमक प8(1) कार्तिक/ 2/2003 दिनांक 09.06.2003 एवं विषय मिति विभाग के परिष्कर क्रमक एफ13(1) एफडी/रत्न/03 दिनांक 02.08.2005 के अनुसार अधिकारी पोस्ट योजना लागू होगी।

9. नियुक्ति अभ्यंत्री पूर्व में ही उद्योग विभाग वंशावलिक सेवा में कार्यरत है। अतः इनके विषय संतापन एवं साध्यता परिवेश की आवश्यकता नहीं है।

10. नियुक्ति अभ्यंत्री विवाहित है तो उन्हें अपने विवाह कंवीमेंट प्रमाण पत्र एवं जीवन संबंधी संदेश संबंधी की सूचना एवं अनुमति प्रदान करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

11. उक्त अभ्यंत्री नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 04 सत्रांत में कार्यप्रगति नहीं करता है और ना ही किसी प्रकार की यूं नियुक्ति विभाग को प्रस्तुत करता है तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही गैरस्त समझे जायेगे।

(कृष्णा कान्त ठाकुर)
अध्यक्ष, उद्योग
क्रमक:एक (१)/1(६७) आ.उ./शी.एडी/अनु/नियुक्ति/राज.अधि.नं.चौ.वो./2018 दिनांक: 24-06-2019

प्रतिदिन भीन की सुचारुता एवं अद्वितीय कार्यवाही हेतु प्रेषित है,-
1. अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान कृषि प्रवेश संस्थान परिषद्, दुरगपुर, जयपुर।
2. विशेष शासन संबंधी, उद्योग पुप-२ विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निर्माण संगठन, आयुक्त उद्योग।
4. अधिवक्ता निदेशक, उद्योग,संश्लेषण।
5. संयुक्त निदेशक, उद्योग (कम्प्नी) को विभाग की घोषित टाइम के अपलोड करने हेतु।
6. समस्त फ़लक्क अधिकारी, मुद्दातल।
7. संयुक्त निदेशक, उद्योग (संश्लेषण), मुद्दातल, जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि अभ्यंत्री को कार्यभार प्रहर करने से पूर्व मूल शीर्षक प्रभाव संबंधी प्रमाण पत्रों से मिलान कर एक प्रति प्राप्त करें जिस प्रकार दर्शन न लेने का शासन पत्र, विवाह संबंधी एवं संवाद संबंधी पूर्वांग प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
8. स्वतंत्रता अभ्यंत्री (प्रजिस्टट ठाकुर द्वारा)
9. रसित पत्रावली।

(एच.एस.शाह)
संयुक्त निदेशक, उद्योग
(प्रशासन)